राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

13 MAR 2012

एफ 51 (1) ग्रावि/नरेगा/शिका/विशेष जांच/11–12 जयपुर, दिनांक 13 MAR 2012

::कार्यालय आदेश::

यह तथ्य जानकारी में आया है कि कुछ स्थानों पर महात्मा गांधी नरेगा योजना के अर्न्तगत करवाये गये कार्यों के बारे में शिकायत प्राप्त होने पर, शिकायतकर्ता एवं कार्य करवानें वाले सरपंच के बीच भारी तनाव उत्पन्न हो जाता है। कई पंचायतों में शिकायतकर्ता के साथ मारपीट किये जाने के भी प्रकरण सामने आये है। इन प्रकरणों में आपराधिक अभियोग दर्ज हुये हैं। कई बार जांच करने के लिये मौके पर जाने वाले जांच दल या अधिकारी को भी जिनके विरुद्व शिकायत की गई है, उस पक्ष द्वारा जांच में बाधा उत्पन्न की जाती है।

ऐसी स्थिति में यह नीतिगत निर्णय लिया गया है कि जहां पर भी योजना में करवाये गये कार्यों में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होती है तथा जिसके विरूद्व शिकायत की जाती है, उस व्यक्ति द्वारा शिकायतकर्ता के साथ मारपीट या कोई भी आपराधिक कृत्य किया जाता है, ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जांच मुख्यालय से विशेष जांच दल गठित कर करवाई जावें। जिन ग्राम पंचायतों में जिस सरपंच/संस्था के विरूद्व शिकायत की जाती है तथा उसके द्वारा जांच अधिकारी को जांच में सहयोग नहीं देकर बाधा उत्पन्न की जाती है या उसके साथ कोई आपराधिक कृत्य किया जाता है तो ऐसी ग्राम पंचायत में भी जांच मुख्यालय से विशेष जांच दल भेजकर करवाई जावें। इस जांच दल को पूरी सुरक्षा देने का दायित्व संबंधित जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक का होगा।

13/3/12
(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ठ सहायक, मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस ।
5. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण/समस्त शाखा प्रभारी कार्यालय हाजा ।
6. अतिरक्त आयुक्त प्रथम, द्वितीय, परियोजना निदेशक एवं लेखाधिकारी ईजीएस।
7. समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक राजस्थान/समस्त जिला पुलिस अधीक्षक
8. समस्त अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिला परिषद,राजस्थान।
9. रक्षित पत्रावली ।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय) ईजीएस